रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं. –1 प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ –

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी,स्पेशल यूनिट अजमेर, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022..........................
प्र. ई. रि. स. ....90/2022.............. दिनांक ....14/3/2022..............
(अ) अधिनियम. भ्र. नि. (संशोधित) अधिनियम 2018 ......धारायें... धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018....
(ब) अधिनियम.. धारायें.............................201 भा0द0सं0..................................
(स) अधिनियम ....धारायें...
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

2. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....285......... समय..........6:00 P.M...
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– **बुधवार 13.03.2022 समय** 02.08 **पी.एम**......................................
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 13.02.2022 समय. 10.38 पीएम..

3. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – मौखिक

4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – पूर्व 100 कि.मी...
(ब) पता – निजामुददीन राठौड की गली चमनपुरा मौहल्ला मकराना जिला नागौर।..................................
बीट सख्या ....जरायमदेही सं..
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना...जिला..

5. परिवादिया/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री बनवारी लाल..
(ब) पति का नाम.... श्री शैतान सिंह राजपुरोहित..
(स) जन्म तिथि /वर्ष ..... 32 वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसाय..............हलवाई...
(ल) पता... ग्राम बासडा ग्राम पंचायत बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर..

6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री भूर सिंह पुत्र श्री लोहडेराम मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डेहरिया तहसील नादोती पुलिस थाना नादोती जिला करौली हाल निवास भारत संचार निगम लिमिटेड राजकीय आवास संख्या 8 मकराना जिला नागौर हाल हैड कानि0 नं0 863 पुलिस थाना मकराना जिला नागौर..

7. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..

8. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
....**20,000 रूपये रिश्वत राशि**..

9. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)
....**20,000 रूपये रिश्वत राशि**..

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

दिनांक 13.02.2022 समय 10:38 पी.एम. पर श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस महोदय भ्र.नि. ब्यूरो अजमेर ने जरिये दूरभाष श्री राकेश कुमार उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर के मोबाइल नम्बर 97841–57626 पर वार्ता कर अवगत कराया कि परिवादी श्री अशोक ने मोबाइल नम्बर 97266–59147 से सूचना दी है कि नागौर जिले के मकराना थाने में पदस्थापित हैड कानिस्टेबल उसके बडे भाई बनवारी से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने के लिये 20,000 (बीस हजार) रूपये की राशि मांग रहा है तथा कल सुबह हैड कानिस्टेबल द्वारा मेरे भाई बनवारी को रिश्वत राशि लाने हेतु फोन करने व थाने बुलाने के लिये कहा है। उक्त सूचना पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो अजमेर द्वारा उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री अशोक व उसके बडे भाई श्री बनवारी से सम्पर्क कर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशानुसार दिये गये मोबाइल नम्बर 97266–59147 पर उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 9784157626 से वार्ता की गई जिस पर श्री अशोक नाम के व्यक्ति ने अवगत कराया कि मेरे बडे भाई श्री

बनवारी लाल पुत्र श्री शैतान सिह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बासड़ा तहसील बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर के विरूद्ध पुलिस थाना मकराना में श्रीमति सोनू कवर ने एक मुकदमा सख्या 29/22 छेडछाड का दर्ज करवा रखा है। जो झूठा है। उक्त मुकदमें में पुलिस थाना मकराना के श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल बनवारी लाल को डरा धमका कर गिरफ्तार करने का भय दिखा रहा है तथा मुकदमें में एफ.आर. देने के बदले में बनवारी लाल से 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। हम अपने जायज काम के बदले में व प्रकरण झूठा होने से श्री भूर सिह को रिश्वत राशि नहीं देना चाहते हैं उसे रंगे हाथों पकडवा कर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते हैं। वार्तानुसार परिवादी श्री अशोक को श्री बनवारी लाल के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु कल दिनांक 14.02.2022 को मकराना जिला नागौर पर उपस्थित मिलने के निर्देश प्रदान किये। समय करीब 11:21 पी.एम. पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. को जरिये दूरभाष वार्ता कर श्रीमान् उपमहानिरीक्षक द्वारा दी गई सूचना के बारे में जानकारी दी तथा परिवादी श्री अशोक के मोबाइल नम्बर 97266–59147 उपलब्ध करवाये। श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. को परिवादी से सम्पर्क कर नियत समय पर कल दिनांक 14.02.2022 को कार्यालय से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर मकराना जाकर परिवादी श्री अशोक व उसके बडे भाई श्री बनवारी लाल से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने के लिए पाबन्द कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।

–:: कार्यवाही पुलिस ::–

दिनांक 13.02.22 को प्राप्त मौखिक ईत्तला पर 14.02.2022 उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. को कार्यालय के मालखाने से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड इश्यू करवा कर प्राईवेट वाहन से कार्यालय के वाहन चालक श्री मनीष कुमार को हमराह लेकर मकराना जाने तथा परिवादी श्री अशोक एवं उसके बडे भाई श्री बनवारी लाल से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने के लिए मकराना रवाना होने एवं सम्पूर्ण हालात से अवगत कराने के निर्देश प्रदान कर रवाना किया। श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. द्वारा उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल फोन पर वार्ता कर अवगत कराया कि "मैं व श्री मनीष कुमार चालक माफिक निर्देश मालखाने से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड इश्यू करवा कर प्राईवेट वाहन से कार्यालय से रवाना होकर कस्बा मकराना पहुॅचे। जहां परिवादी श्री अशोक के मोबाइल नम्बर से वार्ता की गई तो उन्होंने मकराना–खाटू–नागौर मार्ग न्यू हाईवे पहुॅचने के लिए बताया। जिस पर दो व्यक्ति एक मोटर साईकिल पर सवार होकर मेरे मोबाइल नम्बर पर वार्ता कर मकराना–खाटू–नागौर मार्ग न्यू हाईवे पर पहुॅचे। जिनसे श्री कन्हैयालाल ए.एस.आई. ने वार्ता की। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम श्री अशोक कुमार व उसके साथ आये हुए अन्य व्यक्ति ने अपना नाम श्री बनवारी लाल पुत्र श्री शैतान सिह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बासड़ा तहसील बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर होना बताते हुए पुलिस थाना मकराना में दर्ज प्रकरण के बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री बनवारी लाल ने प्रस्तुत किया। जिस पर स0उ0नि0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत श्री बनवारी लाल व उसके भाई श्री अशोक कुमार से पूछताछ करी तो श्री बनवारी लाल ने बताया कि " मेरे खिलाफ पुलिस थाना मकराना में श्रीमति सोनू कवर ने मुकदमा सख्या 29/22 छेडछाड का मुकदमा दर्ज करवा रखा है जो झूठा है। उक्त मुकदमें की जांच पुलिस थाना मकराना के हैड कानिस्टेबल श्री भूर सिह जी जांच कर रहे है। उक्त मुकदमे में मेरे व अन्य से पूछताछ भी हो चुकी है गवाह के बयान भी लिये जा चुके हैं। मुकदमा श्रीमति सोनू कंवर ने झूठा दर्ज कराया है उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिये हैं परन्तु श्री भूर सिह मुझे बार बार टेलीफोन कर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं तथा मुकदमें में एफआर देने के बदले में मेरे से 20,000 रूपये रिश्वत राशि

की मांग कर रहे हैं। प्रकरण झूठा दर्ज होने व मेरे जायज काम के बदले में मैं उनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। भूर सिह बार बार मुझे डरा धमकाकर रिश्वत लेना चाहता है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करें।" उक्त प्रार्थना पत्र परिवादी श्री बनवारी लाल द्वारा स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना अवगत कराया तथा अपने छोटे भाई श्री अशोक कुमार को उक्त कार्य के बारे में जानकारी होना अवगत कराते हुए सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही स्वयं द्वारा करवाये जाने हेतु कहा। श्री अशोक कुमार की आरोपी से जान पहचान होने की वजह से उक्त कार्यवाही में शामिल नहीं रखने हेतु बताया गया। परिवादी श्री बनवारी लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में आपको बताने पर निर्देशानुसार श्री अशोक कुमार को रूखस्त कर मूल प्रार्थना पत्र अपने पास सुरक्षित रखते हुए आरोपी हैड कानिस्टेबल श्री भूर सिह द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल से रिश्वत राशि मांगने के संबंध में रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने हेतु परिवादी श्री बनवारी लाल को कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने एवं रिकार्डर को चालू व बन्द करने की समझाईश की तथा परिवादी को आरोपी से दोनों के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय की जाने वाली वार्ता को दर्ज करने के निर्देश प्रदान कर परिवादी श्री बनवारी लाल को कार्यालय का वाईस रिकार्डर चालू कर पेन्ट की बाई जेब में सुरक्षित रखवाया जाकर परिवादी को स्वयं की मोटर साईकिल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु पुलिस थाना मकराना की ओर रवाना किया गया। ए.एस.आई व मनीष कुमार प्राईवेट वाहन को साईड में खडा कर छुपाव हासिल करते हुए पुलिस थाना मकराना के आसपास ही खडे रहे जहां से परिवादी श्री बनवारी लाल थाना के मुख्य दरवाजे के सामने अपनी मोटर साईकिल खडी कर पुलिस थाना मकराना के अन्दर जाता हुआ नजर आया। अन्दर जाकर कुछ समय पश्चात ही परिवादी पुलिस थाना मकराना के बाहर आकर अपनी मोटर साईकिल के पास खडा हो गया तथा फिर पास में ही स्थित होटल पर जाकर वार्ताऐं करता हुआ नजर आया। थोडी देर के उपरान्त पुलिस थाना मकराना के अन्दर से पुलिस की वर्दी पहना हुआ एक व्यक्ति परिवादी को ईशारा करके पुलिस थाना मकराना के अन्दर ले जाता हुआ नजर आया। कुछ समय बाद परिवादी पुलिस थाना मकराना के अन्दर से मुख्य दरवाजे के बाहर आता हुआ नजर आया तथा अपनी मोटर साईकिल पर बैठ कर मंगलाना रोड की ओर रवाना हो गया जिस पर हम भी परिवादी के पीछे पीछे मंगलाना रोड की ओर रवाना होकर खाटू बाईपास पर पहुँचे। जहां परिवादी एक सुनसान स्थान पर खडा नजर आया। मैंने परिवादी के पास पहुँचकर कार्यालय का दिया हुआ वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। मौके पर उपस्थित परिवादी ने अवगत कराया कि "मैं रवाना होकर पुलिस थाना मकराना के अन्दर पहुँचा जहां श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल उपस्थित मिले जिनसे अभिवादन किया तो उन्होंने मुझे थोडी देर बाहर खडे रहने के लिये कहा जिस पर मैं थाने से रवाना होकर थाने के बाहर मुख्य गेट के पास बनी हुई चाय की होटल पर खडा रहा। वहां होटल संचालन कर्ता द्वारा मुझ से जानकारी ली तथा भूर सिह के बारे में बात करने लगा तथा मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण के हालात के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए भूरसिह से मिलने के लिए कहा लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। थोडी समय के बाद श्री भूरसिह पुलिस थाना मकराना के अन्दर से आकर मुझे ईशारा कर थाना परिसर के पीछे की ओर बनी हुई मैस की ओर ले गये। मुझे जेल भेजने की धमकी देकर मेरे से रिश्वत राशि के बारे में बातचीत की तथा मेरे मोबाइल को मुझसे लेकर बन्द करवा दिया तथा मुकदमें में कार्यवाही करने के लिए बार बार धमकी देने लगे जिस पर मैंने उनको बताया कि उक्त मुकदमा झूठा है तथा मैं गरीब आदमी हूँ। इस पर उन्होंने व्यवस्था कर रिश्वत राशि 20,000 रूपये देने के बारे में कहा। मैंने उनसे हाथा जोडी की कि मेरे पास अभी 4–5 हजार रूपये ही हैं मैं जल्दी ही ओर व्यवस्था कर ला दूंगा। श्री भूरसिंह जी पैसों के बारे में वार्ता करते हुए कहने लगा कि मैं आपका नौकर नहीं हूं जो आपके लिए व्यवस्था तक बैठा रहूंगा। मैंने आपको पहले भी अवगत करा दिया

था, परन्तु आप मेरी बात नहीं मानकर मेरे को अपने मामाजी से वार्ता करवा रहे है, आपके मामा मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते, सारा काम मेरे स्वयं के हाथ में है मैं जैसा चाहूंगा, वैसा ही करूगा मैं आपका चालान न्यायालय में पेश कर दूगां। जब मैंने आपको आपके काम के लिए बता दिया था तो आपको व्यवस्था करके पैसे लेकर आना चाहिए। इस पर मैंने श्री भूरसिह जी से हाथा जोडी करते हुए कहा कि मैं अभी आपको 4,000 रूपये दे दूंगा तथा 5,000 रूपये की और व्यवस्था करके आपको थोडी देर बाद ही दे जाऊंगा। 20,000 रूपये में से शेष रही रिश्वत राशि बाद में 2–4 दिन तक मजदूरी के पैसे प्राप्त होने पर दे दूंगा। इस पर श्री भूरसिह जी मेरे से वार्ता करते हुए मुझे पुलिस थाना मकराना परिसर में पीछे बने हुए ऊपर के कमरे में ले जाकर बाहर मैस की तरफ घुमाते हुए लेकर आया तथा थाना परिसर के मैस में एक काले रंग की प्लास्टिक की थैली निकाल कर मेरे को पैसे उस थैली में रखने का ईशारा किया जिस पर मैंने ईशारे के अनुसार 4,000 रूपये अपनी जेब से निकाल कर उस थैली में डाल दिये जो उन्होंने अपने पास रख लिये व मेरे को शेष रिश्वत राशि लाने के बारे में बताने लगा तो मैंने उनको कहा कि मैं अभी मेरे मिलने वाले से 5,000 रूपये लाकर आपको ओर दे जाऊंगा। मेरे से वार्ता करते हुए मुझे बाहर जाकर पैसे लाने के लिए रवाना कर दिया। परिवादी ने स्वतः ही बताया कि श्री भूरसिह चालाक एवं शातिर प्रवृति का है। रिश्वत राशि के बारे में खुलकर वार्ता नहीं करना चाहता तथा ईशारों में ही रकम लाने के लिए बताता है तथा वार्ता के दौरान भी उसने मेरी तलाशी लेकर मोबाइल भी बन्द करवा कर अपने पास रख लिया था जो उसने मुझे आते वक्त दिया। श्री भूर सिह जी द्वारा मेरे से 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर ही मेरे से 4,000 रूपये प्राप्त कर लिये हैं तथा 5,000 रूपये आधे घण्टे में ही भिजवाने हेतु कहकर मुझे छोड दिया है। 20,000 रूपये की राशि में से शेष रही राशि 2–4 दिन बाद देने की वार्ता कर हाजिर आया हूं। उक्त सम्पूर्ण वार्ता आपके कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में भी दर्ज है।" इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को ए.एस.आई. द्वारा सुना गया तो परिवादी श्री बनवारी लाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। उपरोक्त समस्त वार्ताऐं व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के बाबत ए.एस.आई. द्वारा उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया गया। उक्त वार्ताओं के दौरान ही आरोपी के मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर फोन आया तो आरोपी ने परिवादी से वार्ता कर रिश्वत राशि के बारे में व्यवस्था कर लाने के लिये कहा जिस पर परिवादी ने उसे बताया कि मैं अभी रूपयों की व्यवस्था में ही लगा हूँ थोडी देर बाद व्यवस्था कर आ जाऊगा, नहीं तो मैं एक साथ ही 2–4 दिन बाद ही आपको पैसे दे दूंगा। उक्त वार्ता के दौरान पैसों के लेन देन की वार्ता आने पर आरोपी ने सतर्क होकर पैसे नहीं मांगने की बात कर अपना मोबाइल फोन काट दिया। उक्त वार्ता परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में दर्ज की गई है। परिवादी व आरोपी के मध्य अभी 5,000 रूपये और दिये जाने के बारे में उप अधीक्षक पुलिस द्वारा एएसआई को निर्देश प्रदान किये कि परिवादी को पाबन्द कर रूखस्त करें कि अब शेष रिश्वत राशि एक साथ ही दी जानी है अतः आरोपी का फोन आने पर परिवादी उससे हाथा जोडी कर 2–4 दिन बाद ही बाकी रिश्वत राशि देने का कहे तथा परिवादी रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिये कार्यालय उपस्थित आये। तत्पश्चात श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. व मनीष कानि0 चालक परिवादी को रूखस्त कर मूल मैमोरी कार्ड मय डिजिटल वाईस रिकार्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेज उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। दिनांक 14.02.22 को ही श्री कन्हैयालाल ए.एस.आई. ने जरिये दूरभाष उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि उसकी परिवादी श्री बनवारी लाल से वार्ता हुई है जिसमें उसने बताया कि आरोपी श्री भूर सिह तलाश करता हुआ मेरे पास आया तथा उसने मेरे से 5,000 रूपये देने की बात कही तथा वार्ता के दौरान ही वह मेरे से 4,500 रूपये ओर लेकर गया है तथा उसने मुझे कहा कि आप मोबाइल पर पैसों के बारे में बात नहीं करेगे तथा आपके पास जैसे ही पैसों की ओर व्यवस्था

हो जावे तो आप मेरे को फोन करके यह बताना कि गवाह लेकर आ रहा हूं, जिससे मैं यह समझ जाऊगा कि आपके पास रिश्वत के पैसों की व्यवस्था हो चुकी है तो मैं आपको बुला लूंगा या आपके पास मैं स्वय आ जाऊगा। यह कहते हुए उसने मुझे समझाया कि समय खराब है पैसों के बारे में खुलकर वार्ता नहीं कर सकते है। आप मेरे को मोबाइल से गवाह लाने की बात करना। यह कहते हुए मेरे से 4,500 रूपये लेकर चला गया है। उक्त वार्ता से आरोपी बहुत ही चालाक व शातिर प्रवृति का होना प्रकट हुआ है। आरोपी रिश्वत राशि लेने के संबंध में बहुत अधिक सतर्क है। इसके बाद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री कन्हैयालाल ए.एस.आई. को परिवादी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने के बारे में अवगत कराते हुए कार्यालय उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। दिनांक 14.02.22 को श्री कन्हैयालाल ए.एस.आई. व श्री मनीष कुमार चालक मय प्राईवेट वाहन के कार्यालय में उपस्थित आये। श्री कन्हैयालाल द्वारा आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलग्न दस्तावेज उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किये तथा उपरोक्त हालात निवेदन किये गये। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज है, को सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य दर्ज वार्ता के अनुसार 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर ही मांग सत्यापन के समय 4,000 रूपये लेने की ताईद हुई तथा शेष रिश्वत राशि 4,500 रूपये आज ही आरोपी श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल द्वारा बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन के परिवादी श्री बनवारी लाल से व्यक्तिशः रूप से बिना कोई वार्ता किये लिये जाने तथा शेष 11,500 रूपये 2–4 दिन बाद लिये जाने की ताईद हुई है। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना मकराना जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल से उसके विरूद्ध दर्ज मुकदमें में एफ.आर. लगाने व मदद करने की एवज में 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन 4,000 रूपये एवं उसी दिन और 4,500 रूपये कुल 8,500 रूपये प्राप्त किया जाना तथा शेष 11,500 रूपये 2–4 दिन बाद लिये जाने की ताईद हुई है। प्रस्तुत मूल मैमोरी कार्ड व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेज को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 16.02.22 को परिवादी श्री बनवारी लाल के मोबाइल नम्बर से उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने के बाबत वार्ता की गयी तो परिवादी श्री बनवारी लाल ने बताया कि मेरे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है। मैं आपसे इस बारे में वार्ता करने वाला ही था कि आपका फोन आ गया। आज समय ज्यादा हो चुका है अतः दिनांक 17.02.2022 को मैं प्रातः आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से तहरीर जारी कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी अजमेर को गवाह हेतु कार्यालय के श्री भरत सिह कानिस्टेबल 18 को भिजवाया गया। श्री भरत सिह कानिस्टेबल मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनसे उप अधीक्षक पुलिस ने उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री सुनील सिंह वरिष्ठ लिपिक एवं श्री मनीष कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी अजमेर होना अवगत कराया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि दिनांक 17.02.2022 को कार्यालय उपस्थित आना है गोपनीय कार्यवाही में आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु कहा गया तो उपस्थित गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र मौतबिर बनने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की जिनको आवश्यक हिदायत देकर नियत समय पर कार्यालय उपस्थित आने के निर्देश देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 17.02.2022 को परिवादी श्री बनवारी लाल कार्यालय में उपस्थित आया जिससे उप अधीक्षक पुलिस द्वारा

उसका परिचय पूछा तो परिवादी ने अपना नाम श्री बनवारी लाल निवासी ग्राम बासड़ा ग्राम पंचायत बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर का होना अगवत कराया। परिवादी श्री बनवारी लाल से श्री कन्हैयालाल ए.एस.आई. को दिनांक 14.02.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज व रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट, अजमेर के नाम सम्बोधित कर मेरे द्वारा ही लिखा गया है जिस पर मेरी स्वयं की हस्तलेखनी है तथा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर किये हुए है जो सही है। परिवादी ने अवगत कराया कि मैं कम पढा लिखा हूॅ तथा पेशें से हलवाई का कार्य करता हूॅ। परिवादी से प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित तथ्यों के बारे में दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री बनवारी लाल ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। दौराने दरियाफ्त पूर्व से तलबशुदा गवाहान श्री सुनील सिंह एवं श्री मनीष कुमार शर्मा भी कार्यालय पर उपस्थित हैं। जिनसे आवश्यक पूछताछ कर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। परिवादी श्री बनवारी लाल व आरोपी श्री भूर सिह के मध्य दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो कार्यालय के वाईस रिकार्डर में दर्ज की गई जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता अलग से तैयार की जाएगी। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज आरोपी श्री भूर सिह व परिवादी श्री बनवारी लाल के मध्य दिनांक 14.02.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशों को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्पूयटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 14.02.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द दिनांक 17.02.22 को तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्पयूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपियों हेतु तैयार की गयी एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचीट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया गया तथा कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई सीडी को शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि आईन्दा ली जाना तय किया गया है अतः परिवादी को रिश्वत राशि पेश करने एवं गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत प्रदान कर रूख्सत किया गया तथा आरोपी से मोबाईल फोन अथवा सम्पर्क होने पर दोनो के मध्य की गई वार्ता से उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने हेतु पाबन्द किया गया। गवाहान व कार्यालय स्टाफ के सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत प्रदान कर गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यक निर्देश दिये जाकर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान कर रूखसत किया गया। दिनांक 21.02.2022 को परिवादी श्री बनवारी लाल ने उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत कराया कि दिनांक 14.02.2022 की वार्तानुसार उसने रिश्वत राशि 2–4 दिन बाद लेने हेतु बताया था अतः आज अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। मैं आरोपी से रिश्वत के लेने देन के बाबत वार्ता कर सकता हूं। इस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री बनवारी लाल को कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये तथा रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु तलब शुदा गवाहान,

कार्यालय स्टाफ उपस्थित कार्यालय है। परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार एस.ओ. श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना मकराना जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में गिरफ्तार नहीं करने एवं एफ.आर. देने की एवज में 20,000 रूपये की मांग करते हुए 8,500 रूपये पूर्व में ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दिन प्राप्त कर लिये है तथा शेष 11,500 रूपये की रिश्वत राशि लिया जाना आज ही तय किया है। परिवादी के मोबाईल नम्बर 7226813991 से आरोपी श्री भूर सिह के मोबाईल नम्बर 9057195096 से रिश्वत राशि लेन देन के संबंध में वार्ता करवायी गयी तो परिवादी से वार्ता के अनुसार आरोपी ने शेष रिश्वत राशि 11,500 रूपये आज ही लिये जाने की वार्ता की है। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर मे मैमोरी कार्ड ऑपरेट कर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवा कर, आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता को दर्ज किया गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता आईन्दा तैयार की गयी। गवाहान की उपस्थिति में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री बनवारी लाल को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना मकराना जिला नागौर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से निकाल कर पांच–पांच सौ रूपये के 23 नोट कुल ग्यारह हजार पांच सौ रूपये की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत की। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटों के दोनों ओर कार्यालय के श्री मनफूल कानिस्टेबल से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवा कर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया को समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की। परिवादी ने अवगत कराया कि आरोपी थाना परिसर में ही मौजूद रहता है। वहां चल कर रिश्वत राशि की लेन देन की कार्यवाही की जा सकती है। इसके पश्चात उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्व श्री संग्राम सिह पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र कुमार उ.नि., श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि. 59, श्री लक्ष्मण दान हैड कानि. 72, श्री श्याम प्रकाश कानि. 316, श्री भरत सिह कानि.18, श्री अर्जुनलाल कानि. 244, श्री कपिल कानि. 377, श्री दामोदर प्रसाद कानि. 435 व स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिंह व श्री मनीष कुमार शर्मा, परिवादी श्री बनवारी लाल मय श्री मनीष कुमार चालक के प्राईवेट वाहनों से मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के कार्यालय से रवाना होकर मकराना पहुॅचे। मकराना स्थित सुभाष नगर मुख्य रोड पर पहुॅच कर वाहनों को साईड में छुपाव हासिल करते हुए खडे करवा कर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को वाहन से उतारकर, टेपरिकार्डर में मय मैमोरी कार्ड के ऑपरेट कर चालू किया जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने हेतु रवाना किया गया तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर पूर्व निर्धारित ईशारे के बारे में अवगत कराया गया एवं समझाईश की गयी कि जैसे ही आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर ली जावे तो आप निर्धारित ईशारे से उप अधीक्षक पुलिस तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों को देखते हुए निर्धारित ईशारा कर देवे, जिससे समझ लिया जावेगा कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर ली है। उपरोक्त हिदायत प्रदान कर परिवादी को पुलिस थाना मकराना की ओर रवाना किया तथा हम सभी आस पास ही अपने वाहनों को खड़ाकर छुपाव हासिल करते हुए निर्धारित ईशारे का ईन्तजार करने लगे। थोडी देर बाद ही परिवादी थाने से बाहर निकलता हुआ नजर आया जो बिना ईशारा किये ही थाने से तहसील की ओर रवाना हो गया। परिवादी के पीछे पीछे उप अधीक्षक पुलिस भी हमराहियान गवाहान व स्टाफ के साथ रवाना हुआ। आगे जाकर परिवादी को रोक कर गाडी में बैठाया एवं टेप रिकार्डर को प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी ने अवगत कराया कि आरोपी श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल के बारे में थाने में जाकर पूछा तो अवगत कराया कि वह किसी मुल्जिम तलाश हेतु राजकार्य से बाहर गया

हुआ है। जो 2–3 दिन बाद में आयेगा। परिवादी श्री बनवारी लाल को अपने मोबाईल नम्बर से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता करने हेतु कहा तो आरोपी ने परिवादी के मोबाईल को रिसिव कर कहा कि मैं राजकार्य से बाहर आया हुआ हूँ, आप पण्डित चाय वाले को गवाह के नाम पते उपलब्ध करवा दो मैं आकर उनसे प्राप्त कर लूगां। यह कहकर आरोपी ने अपना मोबाईल फोन काट दिया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज की गयी। चूकि आरोपी ने रिश्वत राशि पण्डित चाय वाले को दिलवाने हेतु वार्ता की है परन्तु परिवादी ने रिश्वत राशि पण्डित चाय वाले को देने से ईन्कार किया कि उसे रिश्वत राशि देने से वह मेरे से अतिरिक्त पैसा ले सकता है अतः मैं उसको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। आईन्दा आरोपी के आने के उपरान्त रिश्वत राशि दी जावेगी। इस पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार आरोपी के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। परिवादी से गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि निकलवा कर एक कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखवायी गयी। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात उप अधीक्षक पुलिस भी रिश्वत राशि के लिफाफे, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के बाद आवश्यक हिदायत मकराना से रवाना होकर भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर कार्यालय पहुॅचा। कार्यालय पहुॅच कर लेन–देन में प्रयुक्त की जाने वाली राशि के पाउडर युक्त नोटों का लिफाफा, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी में रखवाये गये। गवाहान व स्टाफ को उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान कर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी जाकर रूखस्त किया गया। 24.02.2022 को परिवादी श्री बनवारी लाल ने अवगत कराया कि आज श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना मकराना पर उपस्थित है। जिनसे वार्ता कर रिश्वत राशि का लेन देन कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकती है। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल को आवश्यक हिदायत दी जाकर मकराना में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये तथा उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल फोन से गवाहान की तलबी कर कार्यालय समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये। स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिह व श्री मनीष कुमार शर्मा भी उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी में रखे पूर्व में परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा पाउडरयुक्त रिश्वत राशि के लिफाफे व डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को निकलवाकर उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रख उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्व श्री संग्राम सिह पुलिस निरीक्षक, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. , श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि. 59, श्री लक्ष्मण दान हैड कानि, श्री श्याम प्रकाश कानि. 316, श्री अर्जुनलाल कानि., श्री लखन टेपण, श्री दामोदर प्रसाद कानि., श्री मनफूल कानि., स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिंह, श्री मनीष कुमार शर्मा एवं श्री मनीष कुमार चालक के प्राईवेट वाहनों से मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के मकराना की ओर रवाना होकर मकराना पहुॅचे। जहां सुभाष नगर स्थित मुख्य कस्बे मकराना में परिवादी श्री बनवारी लाल उपस्थित मिले। गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बनवारी लाल को आरोपी श्री भूर सिह हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि का लिफाफा निकाल कर लिफाफे में से रखी राशि श्री मनफूल कानिस्टेबल से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रखवायी गयी तथा परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कहां गया तो अवगत कराया कि आरोपी श्री भूर सिह हैड कानि. पुलिस थाना में ही मौजूद है जिनके बारे में मैने पूर्व में उपस्थिति की जानकारी ले ली थी। अतः आरोपी से वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे ही जाकर आरोपी को रिश्वत राशि मांगे जाने पर दे दूगां। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर दिया गया तथा आवश्यक हिदायत दी जाकर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करने हेतु

अवगत कराया गया। कानिस्टेबल श्री मनफूल को परिवादी की जेब में रिश्वत राशि रखवाने के बाद मकराना से अजमेर कार्यालय पहुॅचने के निर्देश प्रदान कर रवाना किया गया। उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ व गवाहान के अपने अपने वाहनों को साईड में खड़ाकर छुपाव हासिल करते हुए निर्धारित ईशारे का ईन्तजार करने लगे। परिवादी अपनी मोटर साईकिल थाने के बाहर खडी कर थाने के अन्दर जाता हुआ नजर आया। थोडी देर बाद ही परिवादी थाने से बाहर निकलता हुआ नजर आया जो थाने के बाहर ही बैठ गया। थोडी देर बाद पुलिस थाने में से एक वर्दीधारी हैड कानि. परिवादी के पास आया जिसने परिवादी से कुछ कागजातों पर लिखापढी की और वापस थाने में चला गया। परिवादी भी बिना ईशारा किये ही अपनी मोटर साईकिल पर बैठ कर रवाना हो गया। परिवादी के पीछे पीछे उप अधीक्षक पुलिस भी हमराहियान गवाहान व स्टाफ के रवाना हुआ। आगे जाकर परिवादी को रोक कर गाडी में बैठाया एवं टेप रिकार्डर को प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी ने अवगत कराया कि आरोपी श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल मुझे पुलिस थाना मकराना में ही उपस्थित मिले जिन्होने मुझे थाने के बाहर ही बैठने का कहा तो मैं थाना के मुख्य द्वार के बाहर आकर खडा रहा। थोडी देर बाद आरोपी श्री भूरसिह फाईल लेकर मेरे पास थाने के बाहर ही आये तथा उन्होंने मेरे फाईल में कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर अन्य आरोपी श्री भवानी सिंह को बुलाकर लाने का कहा। मैंने उसी समय ही श्री भवानी सिह के मोबाइल नम्बर पर वार्ता की तो भवानी सिह ने कहा कि मैं स्वयं आकर उससे मिल लूगां। मेरे व भवानी सिह के मध्य हुई वार्ता के बारे में मैने श्री भूर सिह जी को भी उसी समय अवगत करा दिया। उक्त समस्त की गयी कार्यवाही की श्री भूर सिह ने अपने थाना स्टाफ के अन्य कानिस्टेबल के मोबाइल से विडियोग्राफी भी करवायी तथा मेरे से किसी प्रकार की कोई लेन देन की वार्ता नहीं की तथा भवानी सिह के आने के बाद ही वार्ता करने का कहकर मुझे पुनः लौट जाने के निर्देश देकर रवाना कर दिया। जिस पर मैं थाने से रवाना होकर मकराना खाटू रोड पर पहुॅचा हूॅ। उक्त की गयी वार्ता को सुनकर परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर में दर्ज आवाज को सुना गया तो रिकार्डर में वाहनों के आने जाने की आवाजों के अतिरिक्त अन्य कोई आवाज दर्ज नहीं होना पायी गयी। परिवादी ने बताया कि हो सकता है कि जल्दबाजी व हडबराट होने से वाईस रिकार्डर बन्द हो गया हो। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों एवं अन्य आरोपी श्री भवानी को बुलाकर लाने के निर्देश की ताईद हेतु परिवादी को भवानी सिह से वार्ता कर बुलाने के निर्देश दिये गये क्योंकि परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेने बाबत कोई भी वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड नहीं हो पाई है। जिस पर परिवादी ने भवानी सिह के मोबाईल पर वार्ता कर मकराना बस स्टेण्ड के आस पास आने हेतु कहा गया। उपरोक्त परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर आरोपी शातिर व चालाक प्रवृति है वह सब के सामने रिश्वत राशि के बारे में वार्ता नहीं करना चाहता है तथा जानबूझ कर परिवादी को गुमराह कर, टालमटोल कर रिश्वत राशि प्राप्त करना चाहता है। परिवादी को पास ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान कर भवानी सिह के आने का इन्तजार करने को कहा गया तथा उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान भी अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आस पास ही मुकीम हुए। कुछ समय बाद एक व्यक्ति मोटर साईकिल लेकर परिवादी श्री बनवारी लाल के पास आकर मिला जो दोनों आपस में वार्ता करते हुए नजर आये। कुछ समय बाद परिवादी व अन्य व्यक्ति मोटर साईकिल पर बैठकर थाने की ओर रवाना हुए जिनके पीछे पीछे उप अधीक्षक पुलिस भी मय हमराहियान स्टाफ एवं गवाहान के अपनी अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए रवाना होकर थाना के आस पास ही खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। जब परिवादी व अन्य व्यक्ति थाना के मुख्य दरवाजे के पास पहुॅचे तो थाना की सरकारी गाडी थाने के बाहर आती हुई नजर आयी जिसे परिवादी के साथ आये हुए अन्य व्यक्ति ने ईशारा कर गाडी को रूकवाया। गाडी में से एक वर्दीधारी पुलिस हैड कानिस्टेबल उतर कर परिवादी व उक्त व्यक्ति से वार्ता करता हुआ नजर आये। थोडी देर बाद परिवादी श्री

बनवारी लाल पैदल ही रवाना होकर अजमेर बाईपास की ओर व अन्य व्यक्ति शहर कस्बा मकराना की ओर जाता हुआ दिखायी दिया। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस भी परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुआ। थोडी दूर जाने के उपरान्त परिवादी को उप अधीक्षक पुलिस प्राईवेट वाहन में बैठाकर खाटू रोड की ओर रवाना हुए जहां सुनसान स्थान पर पहुॅच कर परिवादी से पूछताछ की गयी तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री भूरसिह से पुनः भवानी सिह की उपस्थिति में वार्ता हुई परन्तु उसने हमारे से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की तथा हमे डरा धमका कर भगा दिया तथा कहा कि मैं कानून के मुताबिक कार्य करूगां अभी मेरे पास समय नहीं है। यह कह कर उसने हमे जाने के निर्देश दिये। उक्त समस्त वाक्या की आरोपी ने अपने अधिनस्थ कानिस्टेबल से मोबाइल फोन से विडियोग्राफी भी करवायी है, शायद आरोपी आज रिश्वत राशि नहीं लेना चाहता है क्योंकि दोनों बार ही उसके साथ में उसका स्टाफ मौजूद रहा है वह सब के सामने रिश्वत राशि नहीं लेना चाहता है तथा टालमटोल कर आईन्दा रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता करेगा। उक्त वार्ता के दौरान ही परिवादी के मोबाइल नम्बर पर उसके अन्य साथी श्री भवानी सिह का मोबाइल फोन आया तथा उसने अवगत कराया कि आज इसको किसी प्रकार की कोई शंका है तथा यह किसी अन्य काम में भी व्यस्त है एवं उपस्थित स्टाफ के समक्ष कोई वार्ता नहीं करना चाहता है। परिवादी व भवानी सिंह के मध्य हुई वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज की गयी जिसकी आईन्दा फर्द ट्रासंक्रिप्ट वार्ता तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रखवायी गई रिश्वत राशि निकलवा कर गवाहान के समक्ष एक कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखवायी गयी। बाद हिदायत परिवादी को रूखस्त किया गया। तत्पश्चात उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के रिश्वत राशि के लिफाफे, डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित मकराना से रवाना होकर भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट, अजमेर पहुॅचा। कार्यालय पहुॅच लेन–देन में प्रयुक्त की जाने वाली राशि के पाउडर युक्त नोटों का लिफाफा, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित उप अधीक्षक पुलिस ने आलमारी में रखवाये गये। स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ को उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान कर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी जाकर रूखस्त किया गया। 04.03.2022 को परिवादी श्री बनवारी लाल ने जरिए दूरभाष उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि कल रात्री में श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना मकराना ने मेरे घर पर आकर मेरे से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत की है तथा बताया कि कल आप आ जाना मैं आपको थाने पर ही उपस्थित मिलूंगा तथा रूपये मांगने पर मेने उसको व्यवस्था नहीं होने हेतु अवगत कराया है। आरोपी वार्ता के अनुसार आज दिनांक को रिश्वत राशि लेना चाहता है। अतः आज दिनांक 04.03.22 को रिश्वत राशि का लेन–देन किया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकती है। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल को आवश्यक हिदायत दी जाकर मकराना में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये तथा उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल फोन से गवाहान की तलबी कर कार्यालय समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये। स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिह व श्री मनीष कुमार शर्मा भी उपस्थित आ चुके है। गवाहान को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी से प्राप्त सूचना के बारे में अवगत कराया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी में रखे पूर्व में परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा पाउडरयुक्त रिश्वत राशि के लिफाफे व डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को निकलवाकर उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखी। इसके बाद उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री संग्राम सिह पुलिस निरीक्षक, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि. 59, श्री लक्ष्मण दान हैड कानि, श्री श्याम प्रकाश कानि. 316, श्री अर्जुनलाल कानि., श्री कपिल कानि0, श्री दामोदर प्रसाद कानि, स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिंह, श्री मनीष कुमार शर्मा एवं श्री मनीष कुमार चालक के प्राईवेट वाहनों से मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, लेपटाप व प्रिन्टर के

ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर मकराना पहुॅचे। जहां सुभाष नगर स्थित मुख्य कस्बे मकराना में परिवादी श्री बनवारी लाल उपस्थित मिले। गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बनवारी लाल को आरोपी श्री भूर सिह हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि का लिफाफा निकाल कर लिफाफे में रखी राशि श्री कपिल कानिस्टेबल से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रखवायी गयी तथा परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कहां गया तो अवगत कराया कि आरोपी श्री भूर सिह हैड कानि. पुलिस थाना में ही मौजूद है जिनके बारे में मैने पूर्व में उपस्थिति की जानकारी ले ली थी। अतः आरोपी से वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे ही जाकर आरोपी को रिश्वत राशि मांगे जाने पर दे दूगां। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर दिया गया तथा आवश्यक हिदायत दी जाकर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करने हेतु अवगत कराया गया। कानिस्टेबल श्री कपिल को परिवादी की जेब में रिश्वत राशि रखवाने के बाद मकराना से अजमेर कार्यालय पहुॅचने के निर्देश प्रदान कर रवाना किया गया। उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ व गवाहान के अपने अपने वाहनों को साईड में खड़ाकर छुपाव हासिल करते हुए निर्धारित ईशारे का ईन्तजार करने लगे। परिवादी अपनी मोटर साईकिल थाने के बाहर खडी कर थाने के अन्दर जाता हुआ नजर आया। थोडी देर पश्चात परिवादी आरोपी से वार्ता कर बिना ईशारा किये ही पुलिस थाने से बाहर आता हुआ नजर आया तथा अपनी मोटरसाईकिल चलाकर जूसरी रोड मकराना की ओर रवाना हुआ। जिस पर परिवादी के पीछे पीछे उप अधीक्षक पुलिस भी हमराहियान गवाहान व स्टाफ के रवाना हुआ। परिवादी जूसरी चौराहे पर जाकर अपनी मोटरसाईकिल को खडी कर चौराहे पर उपस्थित मिला जिससे टेपरिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी ने अवगत कराया कि आरोपी श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल ने मुझे पुलिस थाना मकराना में अपने कक्ष में बैठाकर भवानी सिंह के कागजात प्राप्त कर मुझे मेरे घर पर ही उपस्थित मिलने हतु कहा है तथा रिश्वत राशि मेरे घर पर ही लेने हेतु ईशारे में ही सांकेतिक भाषा से प्राप्त करने हेतु कहकर मुझे रवाना कर दिया। इस पर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के आरोपी के आने का इन्तजार करने लगे तथा समस्त ट्रेप दल जूसरी चौराहे से रवाना होकर परिवादी श्री बनवारी लाल के ग्राम बासडा में परिवादी के मकान के आस–पास ही मुकीम रहे। काफी समय बीत जाने के उपरान्त भी आरोपी उपस्थित नहीं आया। जिसके बारे में उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी व जरिए सूत्र मालुमात कराया गया तो आरोपी राजकार्य से पुलिस थाना मकराना से शहर कस्बे में व्यस्त होना अवगत हुआ। आरोपी शातिर प्रवृति व चालाक है। इस वजह से वह रिश्वत राशि अपने स्वयं के हिसाब से प्राप्त करना चाहता है। परिवादी से रिश्वत राशि लेन–देन के बारे में आरोपी की आम छवि की जानकारी ली गयी तो परिवादी ने बताया कि अब शायद आरोपी रिश्वत राशि लेने आज नहीं आएगा। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान के समक्ष परिवादी से रिश्वत राशि एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवायी जाकर परिवादी से सुपुर्द किया गया डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त किया गया तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर अवगत कराया कि अब आरोपी से रिश्वत राशि के बारे में आप वार्ता नहीं करेंगे, उसके बार–बार मांग करने के उपरान्त ही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी। तत्पश्चात उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान व रिश्वत राशि लिफाफा, डिजीटल वॉइस रेकार्डर के परिवादी के ग्राम बासडा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय अजमेर पहुचा। कार्यालय पहुॅच कर लेन–देन में प्रयुक्त की जाने वाली राशि के पाउडर युक्त नोटों का लिफाफा, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित उप अधीक्षक पुलिस ने आलमारी में रखवाये। कार्यालय पहुचने के उपरान्त उप अधीक्षक पुलिस के पास परिवादी श्री बनवारी लाल का दूरभाष आया कि आरोपी श्री भूर सिंह हैड कानि0 प्राईवेट वाहन लेकर अभी–अभी मेरे घर पर आकर गया है तथा उसने मेरे से बिना वार्ता किये रिश्वत राशि देने हेतु ईशारा किया तथा मुझे अपने वाहन

में बैठाकर मेरे से रिश्वत राशि मांगी तो मेने उनको कहा कि मेरे पास अभी रूपये की व्यवस्था नहीं है मैं दिन में किसी व्यक्ति से रूपये उधार लेकर आया था आपने मुझे दिन में घर रहने के लिये बताया था आपके नहीं आने पर मेने उक्त रूपये पुनः ले जाकर सम्बन्धित को वापस देकर आ गया। आपको रूपये अब व्यवस्था होने के उपरान्त ही दे सकता हूँ, मेरे पास अभी रूपये की व्यवस्था नहीं है। उक्त वार्ता कर आरोपी श्री भूर सिंह मेरे को गांव में छोडकर आगे चला गया तथा रूपये आईन्दा देने हेतु कहा। उपरोक्त स्थिति से आरोपी चालाक व शातिर प्रवृति का होना प्रतीत होता है। वह रिश्वत राशि टालमटोल कर अपने स्वयं के हिसाब से प्राप्त करना चाहता है। स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूख्स्त किया गया। दिनांक 06.03.22 को उप अधीक्षक पुलिस का निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में उप अधीक्षक पुलिस की पदौन्नति होने से विभागीय प्रक्रियानुसार इण्डक्शन कोर्स होना दिनांक 07.03.22 से होना प्रस्तावित होने से उक्त ट्रेप कार्यवाही मेरे द्वारा सम्पादित करने के निर्देश प्रदान हुए। दिनांक 12.03.22 को परिवादी श्री बनवारी लाल ने जरिए दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आज श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना मकराना का फोन आया था तथा उसने रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता की है वह करीब 5–7 रोज से मुझसे बार–बार रिश्वत लेने के लिए आतुर है तथा उसने मुझे आज चेतावनी दी है कि अगर कल सुबह रिश्वत राशि लेकर नही आया तो मे तेरे को जेल में डाल दूंगा। अतः आरोपी श्री भूर सिंह अब रिश्वत राशि मेरे से प्राप्त कर सकता है तथा वह बार बार टेलीफोन भी कर रहा है परिवादी द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों बाबत उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श किया गया तथा परिवादी को कल दिनांक 13.03.22 को आवश्यक हिदायत दी जाकर मकराना में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये तथा मन निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल फोन से गवाहान की तलबी कर कार्यालय समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये जाकर कार्यालय स्टाफ को भी उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। जिनके उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 13.03.2022 को स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिह व श्री मनीष कुमार शर्मा के उपस्थित आए। मन् निरीक्षक पुलिस ने आलमारी में रखे पूर्व में परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा पाउडरयुक्त रिश्वत राशि के लिफाफे व डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को निकलवाकर मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित ली गयी तथा परिवादी से वार्ता कर मकराना कस्बे पर उपस्थित मिलने के निर्देश दिये गए। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस, श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश हैड कानि., श्री श्याम प्रकाश कानि. 316, श्री अर्जुन लाल कानि., श्री मनफूल कानि0, श्री दामोदर प्रसाद कानि., कानि., स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिंह, श्री मनीष कुमार शर्मा एवं श्री मनीष कुमार चालक के प्राईवेट व सरकारी वाहनों से मय ट्रेप बाक्स, रिश्वत राशि लिफाफा, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, लेपटाप व प्रिन्टर के कार्यालय से रवाना होकर मकराना पहुॅचे। जहां सुभाष नगर स्थित मुख्य कस्बे मकराना में परिवादी श्री बनवारी लाल उपस्थित मिले। जिनसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को अपना परिचय दिया जाकर उनसे उनका परिचय लिया गया तथा प्रकरण के तथ्यों से अवगत हुआ। बाद आवश्यक कार्यवाही के गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बनवारी लाल को आरोपी श्री भूर सिह हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि का लिफाफा निकाल कर लिफाफे में से रखी राशि श्री मनफूल कानिस्टेबल से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रखवायी गयी तथा परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कहां गया तो अवगत कराया कि आरोपी श्री भूर सिह हैड कानि. की अभी थोडी देर पहले मेरे से मोबाईल पर वार्ता हुयी है तथा वह मुझे थाने पर ही बुला रहा है। अभी वार्ता के अनुसार उसने मुझे थाने पर ही होना अवगत कराया है। आरोपी से वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे ही जाकर आरोपी को रिश्वत राशि मांगे जाने पर दे दूगां। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी

कार्ड के चालू कर दिया गया तथा आवश्यक हिदायत दी जाकर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करने हेतु अवगत कराया गया। कानिस्टेबल श्री मनफूल को परिवादी की जेब में रिश्वत राशि रखवाने के बाद मकराना से अजमेर कार्यालय पहुॅचने के निर्देश प्रदान कर रवाना किया गया। मन निरीक्षक पुलिस मय स्टाफ व गवाहान के अपने अपने वाहनों को साईड में खड़ाकर छुपाव हासिल करते हुए निर्धारित ईशारे का ईन्तजार करने लगे। परिवादी श्री बनवारी लाल ने मन् निरीक्षक पुलिस को बिना ईशारा किये ही थाने से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर जूसरी रोड की ओर रवाना हो गया। जिसके पीछे–पीछे एक वर्दीधारी व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होता नजर आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ श्री कन्हैयालाल स0उ0नि0, श्री राजेश हैड कानि0, श्री अर्जुन कानि0, श्री श्यामप्रकाश कानि0 व गवाह श्री मनीष के जरिए सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से जूसरी चौराहे की ओर रवाना हुआ तथा पुलिस थाना मकराना के बाहर श्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस व कार्यालय स्टाफ के सदस्य श्री दामोदर कानि0, श्री लखन टेपन कानि0 एवं श्री मनीष कानि0 चालक एवं स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिंह को थाने के आस–पास संदिग्ध हैड कानि0 के आने के ईन्तजार में खडा कर मुकीम किया गया। कुछ देर बाद ही परिवादी श्री बनवारी लाल ने मन् निरीक्षक पुलिस को पूर्व निर्धारित ईशारे के अनुसार जरिए दूरभाष वार्ता कर बताया कि जूसरी रोड पानी की टंकी के पास मकराना स्थित चौराहे पर अभी–अभी श्री भूर सिंहजी ने मेरे से सम्पर्क कर रिश्वत राशि 5,000 रू0 मोटरसाईकिल पर बैठे–बैठे ही प्राप्त कर तुरन्त ही मोटरसाईकिल से रवाना हो गए है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के जूसरी रोड पानी की टंकी के पास पहुचा। जहां परिवादी उपस्थित मिला, जिसे हमराह लेकर पुनः पुलिस थाना मकराना के लिए रवाना हुआ। कुछ देर बाद श्री मनीष कानि0 चालक ने जरिए दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री भूर सिंह हैड कानि0 अपनी मोटरसाईकिल लेकर थाने में प्रवेश किया है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने कानि0 चालक को आरोपी हैड कानि0 की गोपनीय रूप से निगरानी करने हेतु हिदायत की। कुछ समय बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान व परिवादी के पुलिस थाना मकराना पर पहुचा। जहां समस्त स्टाफ व दोनो गवाहान को साथ लेकर पुलिस थाना परिसर में प्रवेश किया तो कांच के गेट के बाएं तरफ बने हुए कमरे में जाकर परिवादी ने दाहिनी तरफ कुर्सी पर वर्दी पहने हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही भूर सिंहजी हैड कानि0 है जिन्होने जूसरी रोड पानी की टंकी के पास मोटरसाईकिल से आकर 5,000 रू0 प्राप्त किये है। परिवादी द्वारा वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया गया, जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त शख्स को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो अपना नाम श्री भूर सिंह पुत्र श्री लोहडेराम मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डेहरिया तहसील नादोती पुलिस थाना नादोती जिला करौली हाल निवास भारत संचार निगम लिमिटेड राजकीय आवास संख्या 8 मकराना जिला नागौर हाल हैड कानि0 नं0 863 पुलिस थाना मकराना जिला नागौर होना बताया। तत्पश्चात् श्री भूर सिंह हैड कानि0 से परिवादी श्री बनवारी लाल से ली गई रिश्वत राशि 5,000 रू0 के संबंध में पूछने पर श्री भूर सिंह ने बताया कि मेने किसी से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है, यह झूंठ बोल रहा है। मेने इससे पूछताछ जरूर की थी तथा इसके साथ थाने के बाहर होटल पर जाकर सिगरेट व चाय का सेवन जरूर किया था। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी ने आरोपी की उक्त बात का स्वतः ही खण्डन करते हुए बताया कि यह झूठ बोल रहे है इन्होने मेरे से मेरे विरूद्ध पुलिस थाना मकराना में दर्ज प्रकरण संख्या 29/22 धारा 452,354/34 भा0द0सं0 में श्रीमती सोनू कंवर द्वारा दर्ज करवाये जाने पर उक्त मुकदमे में एफआर देने व मदद करने की एवज में 20,000 रू0 की मांग करते हुए मांग सत्यापन दिनांक 14.02.22 को ही रिश्वत के रूप में 8,500 रू0 प्राप्त कर लिये थे तथा शेष 11,500 रू0 इनके द्वारा कल शाम को मेरे से वार्ता कर मंगवाये थे। जिस पर इनकी मांग के अनुसार

ही आज दिनांक को अभी कुछ देर पहले ही मुझे थाने पर बुलाकर पूछताछ की थी पूछताछ के दौरान ही इन्होने किसी व्यक्ति के चोटग्रस्त हो जाने से अर्जेण्ट अस्पताल जाने हेतु कहकर मुझे बाहर बैठने हेतु कहा था। कुछ देर बाद श्री भूर सिंहजी राजकार्य से वापस आए तथा मुझे थाने के अन्दर ले जाकर पूछताछ की तथा रूपये के बारे में एक कागज की पर्ची पर लिख कर बताया कि आप घर की ओर चलो मैं आपके पीछे–पीछे आ रहा हूँ आप रिश्वत राशि के रूपये घर पर ही रख लेना मैं आकर ले जाउंगा मे यहा रूपये नहीं लूंगा में आपके पास कभी भी आ जाउंगा। यह एक कागज की पर्ची पर लिखकर बताया था तथा पर्ची को मसलकर चाय की होटल के पास ही फेक दी ओर में जूसरी रोड की ओर चला गया। मैं थाने से रवाना होकर पानी की टंकी के पास जूसरी रोड पर पहुचा ही था कि वहां पर मेरे पीछे–पीछे श्री भूर सिंहजी आ गए ओर मोटरसाईकिल पर बैठे–बैठे ही मेरे से रूपये के बारे में ईशारा किया। जिस पर मेने इनको अपनी जेब में रखी 11,500 रू0 की राशि निकालकर पेश की तो इन्होने अपने हाथ के ईशारे से 5,000 रू0 ही देने के लिए कहा। जिस पर मेने उक्त रिश्वत राशि 11,500 रू0 में से 5,000 रू0 गिनकर श्री भूरसिंहजी को उसी समय दे दिये, मेने इनको रिश्वत राशि देते समय यह भी कहा था कि आपने मेरे से 20,000 रू0 की मांग की थी जिसके अनुसार आपको मुझे 11,500 रू0 ओर दिये जाने है, जो मैं आपको अभी भी दे सकता हूँ, परन्तु इन्होने ईशारे से 5,000 रू0 ही मांग कर प्राप्त किये। उक्त रूपये इन्होने अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये ओर शीघ्र ही मोटरसाईकिल से रवाना हो गये। इसके बाद मेने आपको जरिए दूरभाष रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण हालात अवगत कराये। शेष रिश्वत राशि 6,500 रू0 मेरे पास मौजुद है। मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त शेष रिश्वत राशि 6,500 रू0 गवाह श्री सुनील सिंह को परिवादी से सुपुर्द कराये। इस पर आरोपी श्री भूर सिंह को परिवादी श्री बनवारी लाल से वक्त रिश्वत राशि लेन–देन के समय प्राप्त किये गए 5,000 रू0 की रिश्वत राशि बाबत मौके पर ही पूछताछ की तो उन्होने रिश्वत राशि लेने से इन्कार किया तथा बताया कि मेने किसी प्रकार की कोई राशि बनवारी लाल से प्राप्त नहीं की है आप चाहे तो मेरी जामा तलाशी ले सकते है। इस पर उपस्थित स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील सिंह से आरोपी की जामा तलाशी लिवायी गई तो आरोपी श्री भूर सिंह की पहनी हुयी पेन्ट की जेब में एक मोबाईल फोन 1907 वीवो कम्पनी का जिसमे एक सिम नं0 9057195096 जियो कम्पनी की व एक सिम नं0 9530413513 बीएसएनएल कम्पनी की लगी होना पाया तथा कोई नगद राशि नहीं मिली। इस पर आरोपी से पुनः रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछताछ की तो उसने रिश्वत राशि लेने से इन्कार किया। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी ने पुनः बताया कि आरोपी ने रिश्वत राशि लेकर शायद रास्ते में किसी को दे दी हो तथा उसके बाद ही यह थाने पर उपस्थित आए है। मैं भी इनके पीछे–पीछे ही आ रहा था परन्तु छोटी गलिया व रास्ता खराब होने की वजह से मेरी आखो से ओझल हो गए। आरोपी से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने रिश्वत राशि लेने से इन्कार किया है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री भूर सिंह के हाथ की लिखी हुयी पर्ची बाहर चाय की होटल पर पडी होगी। जिस पर श्री बनवारी लाल व मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान व गवाहान के पुलिस थाना परिसर के पास ही स्थित चाय की होटल पर पहुचा। जहां परिवादी ने आरोपी के साथ बैठकर बातचीत की थी उक्त स्थान पर पर्ची की तलाश करने पर एक छोटा कागज मसलकर पडा हुआ मिला। जिसे गवाह श्री मनीष कुमार से उठवाकर दिखवाया गया तो उसमे इबारत लिखी हुयी मिली की "घर पर रख लेना मैं आकर ले जाउंगा यहा नहीं लेंगे मै कभी भी आ जाउंगा।" उक्त पर्ची को मौके पर ही परिवादी को दिखायी जाने पर पर्ची पर हस्तलेखनी की इबारत आरोपी श्री भूर सिंह की लिखी होना बताया। जिस पर उक्त पर्ची को मन् निरीक्षक पुलिस ने गवाह श्री मनीष के पास सुरक्षित रखवायी। मौके पर मिली पर्ची के बारे में आरोपी श्री भूर सिंह से पूछताछ की गयी तो उसने उक्त पर्ची स्वयं के द्वारा लिखी होना नहीं बताया तथा उक्त इबारत भी स्वयं

की नहीं होना स्वीकार किया तथा पर्ची के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। जिस पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि श्री भूर सिंहजी झूठ बोल रहे है यह पर्ची इन्होने ही अपनी हस्तलेखनी में लिखकर मुझे दिखाकर मसलकर फेक दी थी। उक्त कागज के टुकडे को एक सफेद सादा कागज पर चिपकवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। थाना परिसर में आम जनता की आवाजाही व काफी भीड़ होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री भूर सिंह हैड कानि0 का दाहिना व बायां हाथ क्रमशः श्री श्यामप्रकाश कानि0 व श्री लखन कानि0 से पोचो के उपर से पकडवाया जाकर हमराह लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी, प्राईवेट वाहनो से पुलिस थाना मकराना से रवाना होकर समय करीब 02.45 पीएम पर वृताधिकारी कार्यालय वृत मकराना जिला नागौर पहुॅचे, जहां वृताधिकारी कक्ष में श्री रविराज सिंह उपस्थित मिले जिनको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर संक्षिप्त रूप से तथ्यों से अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु कोई जगह उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। जिस पर वृताधिकारी महोदय द्वारा कार्यालय कक्ष में बैठकर कार्यवाही करने की सहमति प्रदान की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी के वृत कार्यालय कक्ष में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आरंभ की गई तथा प्रकियानुसार ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर वृत कार्यालय से पानी मंगवाकार दो साफ कांच के गिलासो को पुनः साफ करवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया, उक्त अलग–अलग गिलासो के घोल मे श्री भूर सिंह के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमंशः आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1 व एलएच–2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इस पर उपस्थित आरोपी के दोनो हाथो के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होने के सम्बन्ध में पूछताछ की कि आपके हाथो के धोवण का रंग हल्का गुलाबी किस प्रकार आया है जबकि आप रिश्वत राशि ग्रहण करने से मना किया है। इस पर आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि परिवादी ने मेरे को चाय व सिगरेट बाहर चाय की दुकान पर बैठकर पिलायी थी, हो सकता है इस वजह से उक्त धोवण का रंग हल्का गुलाबी आ गया हो। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी से पूछा कि सिगरेट व चाय से गुलाबी रंग किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? तो आरोपी चुप रहा तथा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया व अपनी नजरे नीचे झुका ली। तत्पश्चात् उपस्थित गवाह श्री सुनील सिंह के पास परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी शेष रिश्वत राशि 6,500 रू0 को पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से दोनो गवाहान से मिलान करवाये तो नोटो के नम्बर हूबहू होना बताया। जिनका विवरण इस प्रकार हैं :–

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	2SN 582493
2	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	1US 670200
3	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	3MQ 525210
4	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	5NW 277071
5	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	5FT 506443
6	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	5UD 052073
7	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	7ST 758637

8	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	3MF 024401
9	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	4DU 367975
10	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	4DU 367976
11	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	4DU 367977
12	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	4DU 367978
13	पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	4DU 367979

उक्त शेष रिश्वत राशि 6,500 रू0 के नोटो पर कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि परिवादी द्वारा अपने कथन में वक्त रिश्वत राशि लेन–देन के समय आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर उसने अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी होना बताया है। जिसके क्रम में आरोपी के पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की जेब का धोवण लिया जाना आवश्यक है। अतः श्री भूर सिंह के पहनने के लिए अलग से एक पेन्ट व शर्ट की व्यवस्था करवायी जाकर आरोपी की पहनी हुयी वर्दी की पेन्ट व शर्ट को ससम्मान उतरवाया गया। प्रक्रियानुसार एक साफ कांच के गिलास को पुनः साफ कर स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर उपरोक्तानुसार सोडियम कोर्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो रंगहीन होना बताने पर उक्त घोल में उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसको दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क पीआर–1, पीआर.–2 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पेन्ट की जेब मे जहां आरोपी ने रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण कर रखी उक्त स्थान पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क ''पी'' अंकित कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थेली को कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री भूर सिंह से परिवादी श्री बनवारी लाल शर्मा के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 29/22 दिनांक 27.01.2022 के बारे में जानकारी चाहने पर आरोपी ने उक्त पत्रावली के बारे में अवगत कराया कि उक्त प्रकरण श्रीमती सोनू कंवर पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी हीराणी तहसील नावां द्वारा श्री बनवारी लाल व श्री भवानी सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 354, 452 व 34 भा0द0सं0 में दर्ज किया हुआ है, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा पूर्ण किया जाकर अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू (झूठा) में स्वीकार किया गया है, जिसकी एफआर सं0 10 दिनांक 08.03.22 स्वीकृत कर रखी है। जिसका अन्तिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना शेष है तथा पत्रावली पुलिस थाना मकराना पर मेरी आलमारी में रखी हुयी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुलिस थाना मकराना के थानाधिकारी से वार्ता कर उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली भिजवाने के निर्देश दिये गए। जिस पर थानाधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण सं0 29/22 की मूल एफआर पत्रावली श्री मिटठू सिंह उप निरीक्षक पुलिस के साथ भिजवायी। प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त आरोपी ने उक्त पत्रावली को देखकर बताया कि श्री बनवारी लाल व भवानी सिंह के विरूद्ध उक्त प्रकरण झूठा पाया जाने पर प्रकरण में एफआर स्वीकृत की जा चुकी है तथा माननीय न्यायालय में एफआर प्रस्तुत किया जाना शेष है। प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली को श्री मिटठूलाल उप निरीक्षक पुलिस से क्रमांकित कराया गया तो पत्रावली पेज सं0 1 से 87 तक के पेज होना पाये गए। जिस पर सम्पूर्ण पत्रावली की फोटो प्रतियां करवायी जाकर पत्रावली की पेज सं0 1 से 87 तक की पत्रावली की प्रमाणित प्रति के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी ली गयी तथा मूल पत्रावली माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु श्री मिटठू सिंह उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना मकराना को सुपुर्द की गयी। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जो वॉयस रिकार्डर में दर्ज है को परिवादी, आरोपी व गवाहान के समक्ष चालु कर सुना गया तो आरोपी ने एक आवाज अपनी व परिवादी ने एक आवाज अपनी होना बताया। उक्त रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की पृथक से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की

जायेगी। चूंकि आरोपी द्वारा वक्त रिश्वत राशि लेन–देन के समय प्राप्त की गयी रिश्वत राशि 5,000 रू0 को जान–बूझकर खुर्द–बुर्द कर दिया है तथा वह शातिर प्रवृति का होने से रिश्वत राशि बरामद नहीं करवाना चाहता है। दौराने पूछताछ आरोपी ने रिश्वत राशि प्राप्ति के बारे में किसी प्रकार के कोई तथ्यों से अवगत नहीं कराया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री भूर सिंह पुत्र श्री लोहडेराम मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डेहरिया तहसील नादोती पुलिस थाना नादोती जिला करौली हाल निवास भारत संचार निगम लिमिटेड राजकीय आवास संख्या 8 मकराना जिला नागौर हाल हैड कानि0 नं0 863 पुलिस थाना मकराना जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल पुत्र श्री शैतान सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बासडा ग्राम पंचायत बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर से उसके विरूद्ध पुलिस थाना मकराना में दर्ज प्रकरण संख्या 29/22 में एफआर लगाने व मदद करने की एवज में दिनांक 14.02.22 को रिश्वत राशि 20,000 रू0 की मांग कर मांग सत्यापन के समय 8,500 रू0 प्राप्त करना तथा दिनांक 13.03.22 को मांग के अनुसरण में अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से रिश्वत राशि 11,500 रू0 में से 5,000 रू0 रिश्वत राशि के प्राप्त कर खुर्द–बुर्द करना तथा शेष रिश्वत राशि 6,500 रू0 परिवादी को लौटायी जाना तथा आरोपी के द्वारा 5,000 रू0 रिश्वत राशि ग्रहण किये जाने पर दोनो हाथो व पेन्ट की पीछे की दायी जेब के धोवण का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपी श्री भूर सिंह हैड कानि0 नं0 863 पुलिस थाना मकराना जिला नागौर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व सपठित धारा 201 भा0द0सं0 का अपराध कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्तें क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(संग्राम सिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट–अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संग्राम सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) सहपठित धारा 201 भादंसं में आरोपी श्री भूर सिंह, हैड कानि. नम्बर 863, पुलिस थाना मकराना, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 90/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 800-04 दिनांक 14.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

14.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।